यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार के माह 04/2014 से 02/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजीव कुमार, श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री गौरव रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक-09.03.2021 से 16.03.2021 तक श्री ए0के0जैन, व0लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालीन पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विनीत राही, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक-16.10.2014 से 30.10.2014 तक श्री महेंद्र तिवारी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2010 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 02/2021 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2-**इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**-इकाई द्वारा जिला पौड़ी, हरिद्वार एवं चमोली जिले मे यांत्रिक से संबन्धित कार्यों का सम्पादन किया जाता हैं।

(i) (अ) बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य/बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	-
2014-15	-	-	319.95	319.95	477.15	477.15	-
2015-16	-	-	276.06	276.06	483.95	483.95	-
2016-17	-	-	270.46	270.46	403.08	403.08	-
2017-18	-	-	332.05	332.05	375.67	375.67	-
2018-19	-	-	384.72	384.72	1131.03	1131.03	-
2019-20	-	-	414.64	414.64	629.62	629.62	-
2020-21 (02/2021 तक)	-	-	350.38	350.38	584.67	584.67	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य/ बचत
2014-15	एन0आर0डब्लू0पी0	247.244	445.00	223.000	469.244
2015-16		469.244	0.000	36.990	432.254
2016-17		432.254	126.224	146.419	412.059
2017-18		412.059	249.600	624.950	36.709
2018-19		36.709	338.060	194.200	180.569
2019-20		180.569	135.000	313.929	1.640
2020-21 (02/21 तक)		1.640	0.000	0.000	05/20 को धनराशि मुख्यालय को प्रेषित

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई **"सी"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

1. सचिव, पेयजल विभाग
2. मुख्य महाप्रबन्धक/ मुख्य अभियंता
3. महाप्रबंधक/अधीक्षण अभियंता
4. परियोजना प्रबन्धक/अधिशासी अभियंता
5. परियोजन अभियंता/सहायक अभियंता
6. अपरपरियोजन अभियंता/ अपर सहायक अभियंता
7. सहायक परियोजन अभियंता/कनिष्ठ अभियंता

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019, 03/2015 एवं 06/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। भैरवगढ़ी पेय योजना का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- II (ब)

प्रस्तर: 1 – अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों कोनियोक्ता (Employer) द्वारा धनराशि ₹1.70 लाख का कमअंशदान किया जाना।

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान का प्रावधान है, और इसी के समतुल्य मासिक अंशदान का प्रावधान नियोक्ता (Employer) द्वारा था, परंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या: 169/42/XXVII(10)/2016/2019 दिनांक: 12 जून 2019 के द्वारा नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दिनांक: 01 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ाकर 14% (मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का) कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,यांत्रिक शाखा,उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार (गढ़वाल)में उक्त पेंशन योजना में कार्यरत कार्मिकों के एनपीएस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्मिकों के तो निर्धारित अंशदान (10%) की मासिक कटौती उनके वेतन से की जा रही है, परंतु 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता (Employer) द्वारा निर्धारित पूर्ण अंशदान (14%) मासिक रूप से कार्मिकों को नहीं दिया जा रहा है। इसके स्थान पर उन्हे पूर्व से लागू मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान को दिया जा रहा है। जिसकी वजह से कार्मिकों को प्रति माह 4% अंशदान एवं उस पर मिलने वाले ब्याज की हानि हो रही है। अर्थात उन्हे नियोक्ता की तरफ से 4% मासिक अंशदान कम प्राप्त हो रहा है।

उक्त योजना में वर्तमान में कार्यालय में कुल 08 कार्मिक कार्यरत थे। जिनको 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता द्वारा कम भुगतान किए गए अंशदान की धनराशि की गणना जब लेखपरीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर की गई, तो पाया गया कि नियोक्ता द्वारा उक्त सभी कार्मिकों को अप्रैल 2019 से वर्तमान तक (01/2021) **कुल धनराशि ₹1,70,667.24/- का कम भुगतान किया गया।** (सभी 08 कार्मिकों के कम अंशदान का विवरण प्रस्तर के साथ संलग्न है, संलग्नक 01 से 08)

उक्त सभी कार्मिकों के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि उक्त से संबंधित कोई दिशा निर्देश मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुए।खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। अत: अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा कम अंशदान की गई धनराशि ₹1.70 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर: 2 - अनुबंध शर्तों के विरुद्ध रु 24.98 करोड़ के कार्य का बीमा न किया जाना जाना एवं कार्य समय पर समाप्त नही किए जाने के बावजूद अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार (गढ़वाल) के अभिलेखों मे पाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डबल्यू.पी.) के अंतर्गत जनपद – पौड़ी विकासखण्ड पाबो/ पौड़ी की कोला-पातल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना (बहुल ग्राम योजना) हेतु रुपये 2908.55 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा फरवरी 2015 में प्रदान की गयी थी।

उक्त कार्य को करने हेतु मै0 आर0के0 इंजीनियर्स सेल्स लिमि0 को लागत रु 24,98,40,833.00 की सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी तथा अनुबंध संख्या-04/SE/2015-16 गठित किया गया। कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमश: 11.09.2015 एवं 10.03.2017 थी। अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि कार्य अभी भी समाप्त नही हुआ हैं। अनुबंध के contract data के अनुसार "The defects liability Period is 12 months from the date of certification of completion of the whole work".

V -III उपरोक्त अनुबंध के अनुभाग – IV (GCC) के बिन्दु- 13 में Insurance का प्राविधान दिया गया था तथा उक्त अनुबंध के Contract Data (अनुभाग – VII) के अनुसार, ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित मूल्य के insurance कराये जाने थे:

		Minimum Cover for Insurance (Rs. In Lakh)	Max deductible for Insurance (Rs. In Lakh)
(i)	Works and Plant and Materials	As equivalent to Final Contract Value	
(ii)	Loss or damage to equipment	2.00	0.22
(iii)	Other Property	2.00	0.05
(iv)	Personal injury or death insurance a) for other people (Rs. 20 per 1000)	2.50 for each case	
	b) for Contractor's Employees	In acc with the statutory requirements applicable to India	

GCC के बिन्दु 49 के अनुसार "The Contractor shall pay liquidated damages to the Employer at the rate per day stated in the contract data for each day that the Completion Date is later than the Intended Completion Date". As per Contract Data, the liquidated damages for the whole of the works are Rs. 50000.00 per day. The

maximum amount of liquidated damages for the whole of the works is ten percent of final contract price".

उक्त कार्य के बीमा एवं समयवृद्धि संबन्धित दस्तावेज़ लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किए गए। एवं न ही नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

उक्त के संबंध मे पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध निर्माण शाखा श्रीनगर द्वारा बनाया गया हैं इसलिए इसके बीमा एवं अन्य सभी दस्तावेज़ निर्माण शाखा, श्रीनगर के पास हैं जिसे मंगवाकर लेखापरीक्षा कार्यालय मे प्रस्तुत कर दिये जायेगे।

अत:अनुबंध शर्तों के विरुद्ध रु 24.98 करोड़ के कार्य का बीमा न किया जाना जाना एवं कार्य समय पर समाप्त नही किए जाने के बावजूद अर्थदण्ड नहीं लगाए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर: 3- अनुबंध शर्तों के विरुद्ध रु 3.65 करोड़ के कार्य का बीमा न कराया जाना।

कार्य के अनुबंध के GCCके निम्न Clauses के प्रावधानों के अनुसार: -

Clause 13 Insurance-

13.1 The Contractor, at his own cost shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the end of the Defects Liability Period, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for the following events which are due to the Employer's risks and Contractor's risks as well:

(a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials;

(b) loss of or damage to Equipment;

(c) loss of or damage to property (except the works, plant, materials and Equipment) in connection with the Contract; and

(d) personal injury or death.

13.2 Policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Employer for his approval before the Start Date. All such insurance shall provide for compensation to be payable in the types and proportions of currencies required to completely rectify/compensate the loss or damage incurred.

13.3 If the Contractor does not provide the required insurance policies and certificates within stipulated time, then the Employer may affect the insurance which the Contractor should have provided and recover the premium which the Employer has paid from payments otherwise due to the Contractor or, if no payment is due, the payment of the premium shall be a debt due.

13.4Both parties, the Contractor and the Employer, shall comply with all conditions of the insurance policies.

13.5 However, any alterations to the terms of insurance shall not be made, either by the Contractor or by the Insurance Company, without prior approval of the Employer.

As per the Contract Data of the work, the Defects Liability Period is 12 months, which will start from the date of certification of completion of the whole work and Handed over of the scheme.

Further, Insurance requirements are as under:

		Minimum Cover for Insurance ₹ in lacs	Maximum deductible for Insurance ₹ in lacs
(i)	Works and Plant and Materials	As equivalent to final Contract Value	
(ii)	Loss or damage to equipment	2	0.22
(iii)	Other Property	2	0.05
(iv)	Personal injury or death insurance: a) for other people (₹ 20 per 100)	2.5 for each case	
	b) for Contractor's Employees	In accordance with the statutory requirements applicable to India	

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार (गढ़वाल) के अभिलेखों की लेखा-परीक्षा जाँच में पाया गया कि नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद पौड़ी विकास खण्ड कल्जिखाल के अन्तर्गत चिनवाड़ी डांडा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के कार्य हेतु एक अनुबन्धसंख्या 01/SE/2017-18 दिनांक31.08.2017को गठित किया गया था। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमश: 1-09-2017 तथा31-08-2019 थी । कार्यलेखा परीक्षा तिथि (03/2021) तक पूर्ण नहीं हुआ था। लेखा परीक्षा तिथि तक कार्य पर ₹32782600/- व्यय किया जा चुका था ।कार्य के अनुबंध की राशि ₹ 3.65 करोड़ के सापेक्ष कार्य पर ₹3.28 करोड़ व्यय (02/2021) हो चुका था। ठेकेदार द्वारा कार्य का बीमा कराया जाना था परन्तु बीमा लेखा परीक्षा तिथि (02/2021) तक नही कराया गया।

अनुबंध की उक्त शर्तो के अनुसार कार्य का बीमा दोष दायित्व अवधि (Defects Liability Period) के समापन तक किया जाना अनिवार्य था।

उल्लेखनीय है कि बीमा खंड एवं ठेकेदार दोनों कि जिम्मेदारी थे यदि ठेकेदार बीमा नहीं कराता तो खंड को कराना था ओर ठेकेदार से बीमा की किस्तों की राशि को वसूल किया जाना था।

स्पष्ट था कि खंड द्वारा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन किया गया, साथ ही ठेकेदार से कार्य का बीमा न करवाकर ठेकेदार को बीमा का प्रीमियम न देना पड़े इसलिए ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर निर्माण शाखा द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए क्रमश: अवगत कराया गया कि कार्यों का बीमा नियमानुसार किया जायेगा।

स्पष्ट है कि यांत्रिक शाखा द्वारा उक्त कार्य हेतु रु 3.56 करोड़ का अनुबंध गठित करने के बावजूद शर्तो का उल्लंघन कर न तो ठेकेदार से कार्यो का बीमा करवाया न ही यांत्रिक शाखा द्वारा बीमा किया गया।

अत: अनुबंध शर्तो के विरूद्ध रु 3.65 करोड़ के कार्य का बीमा नहीं किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – II (ब)

प्रस्तर :4 - ₹36.45 लाख के अर्थदण्ड की वसूली न किया जाना ।

कार्य के अनुबंध के GCCके निम्न Clauses के प्रावधानों के अनुसार: -

49. Liquidated Damages (LD)

49.1 The Contractor shall pay liquidated damages to the Employer at the rate per day stated in the Contract Data for each day that the Completion Date is later than the Intended Completion Date (for whole of the works or the milestone as stated in the contract data). The total amount of liquidated damages shall not exceed the amount defined in the Contract Data. The Employer may deduct liquidated damages from payments due to the Contractor. Time is the essence of the contract and payment or deduction of liquidated damages shall not relieve the contractor from his obligation to complete the work as per agreed construction program and milestones or from any other of the contractor's obligations and liabilities under the contract.

49.2 If the Intended Completion Date is extended after liquidated damages have been paid, the Engineer shall correct any overpayment of liquidated damages by the Contractor by adjusting the next payment certificate.

कार्य के अनुबंध के Contract Data के अनुसार-

The liquidated damages for the whole of the Works are ₹ 50000 per day.

The maximum amount of liquidated damages for the whole of the works is 10% of the Initial Contract Price.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता यांत्रिक शाखा**,** उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम**,** कोटद्वार (गढ़वाल) के अभिलेखों की लेखा-परीक्षा जाँच में पाया गया कि नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद पौड़ी विकास खण्ड कल्जिखाल के अन्तर्गत चिनवाड़ी डांडा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के कार्य हेतु एक अनुबन्धसंख्या 01/SE/2017-18 दिनांक31.08.2017को गठित किया गया था। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमश: 1-09-2017 तथा31-08-2019 थी । कार्यलेखा परीक्षा तिथि (03/2021) तक पूर्ण नहीं हुआ था। लेखा परीक्षा तिथि तक कार्य पर ₹32782600/- व्यय किया जा चुका था ।

उक्त अनुबंध के ठेकेदार का नाम M/s R.K. Engineers है अनुबंध धनराशि ₹ 36454600.00 थी। कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 31-08-2019 थी,परंतु कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 1 वर्ष 7 माह से ज्यादा देरी के बाद भी लेखापरीक्षा तिथि (03/2021) तक कार्य पूर्ण नहीं होने पर उल्लिखित नियमानुसार ठेकेदार पर LD अधिरोपित नहीं की गयी। उल्लेखनीय है कि ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु लेखा परीक्षा तिथि (03/2021) तक कोई समयवृद्धि प्रदान नहीं की गई थी।

यांत्रिक शाखा द्वारा ठेकेदार द्वारा 01 वर्ष एवं 07 माह से ज्यादा देरी पर लेखापरीक्षा तिथि (03/2021) तक कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर अर्थदण्ड अनुबंधों की शर्तो के अंतर्गत लागू GCC 49 व लागू Contract Data के अनुसार अनुबंध लागत का 10 प्रतिशत अर्थात ₹36,45,460 अर्थदण्ड लागू होता है। अतः ठेकेदार पर धनराशि ₹36.45 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूली की जानी चाहिए, जो यांत्रिक शाखा द्वारा नहीं की गई।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर यांत्रिक शाखा द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए उत्तर दिया गया कि ठेकेदार को समयावृद्धि प्रदान नहीं की गयी हैं अतः अर्थदण्ड की कार्यवाही कीजायेगी।

स्पष्ट हैं कि यांत्रिक शाखा द्वारा शर्तो के अनुसार ठेकेदार पर ₹36.45 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूली नहीं की गयी।

अतः ₹36.45 लाख के अर्थदण्ड की वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग II (ब)</u>

प्रस्तर: 5- ₹83.58 लाख के जी.एस.टी. के भुगतान की गई धनराशि राजकीय कोषागार में जमा किए जाने की सुनिश्चितता नहीं किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता यांत्रिक शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार (गढ़वाल) के अभिलेखों की लेखा-परीक्षा जाँच में पाया गया कि नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद पौड़ी विकास खण्ड कल्जिखाल के अन्तर्गत चिनवाड़ी डांडा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के कार्य हेतु एक अनुबन्धसंख्या 01/SE/2017-18 दिनांक31.08.2017को गठित किया गया था। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमश: 1-09-2017 तथा31-08-2019 थी । कार्यलेखा परीक्षा तिथि तक पूर्ण नहीं हुआ था। लेखा परीक्षा तिथि तक कार्य पर ₹32782600/- व्यय किया जा चुका था।

यांत्रिक शाखा द्वारा उल्लिखित ठेकेदार को अनुबंध के सापेक्ष 01 जुलाई 2017 से 30 सितम्बर अक्टूबर 2108 के दौरान ₹8357627.76 जीएसटी का भुगतान किया गया। यांत्रिक शाखा द्वारा जीएसटी के ऐसे किए गए भुगतान के संबंध में जिला जीएसटी अधिकारी कोटद्वार को सूचना नही दी गयी न ही इकाई द्वारा उक्त ठेकेदार को किए गए जीएसटी भुगतान के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा उक्त जीएसटी जमा किए जाने के चालान की प्रति प्राप्त की गयी जिससे जीएसटी राजस्व के रूप में सरकार को प्राप्त नहीं होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जबकि राजस्व के रक्षा की जिम्मेदारी सरकारी निगम के निर्माण शाखा की है।

अतः इस संबंध में ठेकेदार से उल्लिखित जीएसटी के चालान की प्रति इकाई द्वारा प्राप्त करनी चाहिए तथा ठेकेदार को किए गए जीएसटी भुगतान के संबंध में पूर्ण विवरण देते हुए जिला जीएसटी विभाग कोटद्वार को सूचित किया जाना चाहिए।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर निर्माण शाखा द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि जिला जी0एस0टी0 अधिकारी को संबन्धित सूचना प्रेषित की जायेगी तथा ठेकेदार से भुगतान किए गए जी0एस0टी0 की जमा के चालान की प्रति प्राप्त की जायेगी।

अतः ₹83.58 लाख के जी.एस.टी. के भुगतान की गई धनराशि राजकीय कोषागार में जमा किए जाने की सुनिश्चितता नहीं किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग –II (ब)

प्रस्तर-6 वित्तीय नियमो के विपरीत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही ₹ 812.53 लाख का कार्य किया जाना।

Para number 318 of Financial Hand Book Volume VI provides that for every work proposed to be carried out except petty works and petty repairs, and repairs for which a lump sum provision has been sanctioned by the superintending engineer, properly detailed estimate must be prepares for sanction by competent authority. This sanctions is known as technical sanction to the estimate and it must be obtained before work is commenced.

भैरव गढ़ी पेयजल योजना के सापेक्ष राज्य सेक्टर में, डिपाजिट मद तथा नाबार्ड मद में क्रमशः 2.00 करोड़, 2.5 करोड़ ततः 6.40 करोड़ धनराशी अवमुक्त की गयी थी। कार्य पर **₹ 812.53 लाख** (बिना सैंटज) **व्यय किया जा चुका था।**

अधिशाशी अभियंता, यांत्रिक शाखा उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम कोटद्वार के अभिलेखों, (अनुबंध संख्या 03/SE/2017-18 तथा 02/SE/2019-20) की जांच में पाया गया कि यांत्रिक कार्यों के सापेक्ष सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृत प्राप्त नही की गयी थी । कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न किया जाना उक्त वित्तीय नियमो का उल्लंघन था।

तकनीकी स्वीकृति प्राप्त ना किये जाने संबंधी प्रकरण इंगित किये जाने पर शाखा द्वारा उत्तर में बताया कि सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दी जायेगी।उक्त के अतिरिक्त, आगे जांच में यह भी पाया गया कि जो अस्वीकृत एवं अहस्ताक्षरित आगणन लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया गया उसमे मदों को एक सेट/एक मुश्त के रूप रखा गया जबकि ठेकेदार द्वारा जो दरे दी गयी थी वे sub items wise थी। ये sub items आगणन में लिए गए मदों के अधीन होते है अथवा नही यह स्पष्ट नही था। इसके बारे में पूछे जाने पर लेखा परीक्षा को कोई सन्गत उत्तर नही दिया गया। लेखा परीक्षा को अनुबंधों की मूल प्रति के स्थान पर छाया प्रति उपलब्ध कराई गयी।

इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा लेखा परीक्षा को कार्य के सापेक्ष वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती भी उपलब्ध नही करवाई गयी है जिसके बारे में बताया गया की यांत्रिक शाखा को धनराशी सिविल निर्माण शाखा उत्तराखंड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा कोटद्वार द्वारा अवमुक्त की जाती है

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–II 'अ' प्रस्तर संख्या.	भाग–II 'ब' प्रस्तर संख्या
1	55/2004-05	1,2	1,2
2	86/2005-06	1,2	1
3	70/2006-07	1	1
4	18/2010-11	1	1,2
5	105/2014-15	-	2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रस्तरों के निस्तारण की कार्यवाही गतिमान हैं।				

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार (गढ़वाल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री डी॰ पी॰ सिंह	अधिशासी अभियंता	01.04.2014 से 02.05.2014
02.	श्री विशाल कुमार	अधिशासी अभियंता	02.05.2014 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार (गढ़वाल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248195** को प्रेषित कर दी जाये।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (N-PSU)